



2026:AHC:19438

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 15681 सन् 2024

दुली चंद्र एवं 3 अन्य

..... याचिककर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 9 अन्य

.... प्रतिवादी(गण)

याचिककर्ता(गण) के अधिवक्ता: राक्षा चौहान, ऋषि कांत राय, उपेंद्र कुमार सिंह

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी., हरि नारायण सिंह, प्रशांत कुमार मिश्रा

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश पाडिया

संदर्भ: सिविल विविध वापसी आवेदन संख्या 03 वर्ष 2025

1. वापसी आवेदन पर याचीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।
2. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण पक्षकारों के मध्य विषय का निपटान हो गया है, अतः प्रस्तुत रिट याचिका को वापस लिए जाने के आधार पर खारिज करने का निर्णय लिया गया है।
3. वापसी आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथपत्र में दर्शाया गया कारण पर्याप्त है, अतः प्रस्तुत रिट याचिका वापस लिए जाने के आधार पर खारिज की जा सकती है।
4. वापसी आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

रिट याचिका पर आदेश

1. उपरोक्त के दृष्टिगत, प्रस्तुत रिट याचिका वापस लिए जाने के आधार पर खारिज की जाती है।
2. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि अतिरिक्त आयुक्त द्वितीय, कानपुर मंडल, कानपुर द्वारा दिनांक 07.03.2024 को पारित आदेश की प्रमाणित प्रति तथा सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/अतिरिक्त नगर दंडाधिकारी (चतुर्थ), कानपुर नगर द्वारा दिनांक 29.09.2015 को पारित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आदेश की प्रमाणित प्रति, उनकी फोटोप्रति अपने पास सुरक्षित रखने के उपरांत, याचीगण के विद्वान अधिवक्ता को वापस कर दे।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

28 जनवरी, 2026

टी.एस.

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।